

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-2-4/2019 51 /पटना, दिनांक:- 13-3-2020

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी-बख्तियारपुर के पत्रांक-2309 अनु0 दिनांक-26.12.2019 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में मो0 अब्दुल जब्बार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी-बख्तियारपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त का ईलाजरत अवधि दिनांक-17.01.2017 से 27.03.2017 तक 70 दिन एवं दिनांक-25.04.2017 से 16.06.2017 तक 53 दिन अर्थात् कुल ईलाजरत अवधि 123 दिन को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(य 17/03/2020)

(प्रवीण कुमार ठाकुर)  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-4/2019 1666 /पटना, दिनांक :- 13-3-2020  
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(य 17/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-4/2019 1666 /पटना, दिनांक :- 13-3-2020  
प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सिमरी-बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत अवकाश अवधि को मो0 जब्बार, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के सेवा पुस्त एवं छुट्टी लेखा विवरणी में निश्चित रूप से अंकित कर तदनुसार उक्त अवधि के वेतन का नियमानुकूल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य भी कोई देय पावना है, तो उसका भी त्वरित गति से नियमानुकूल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

(य 17/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-4/2019 1666 /पटना, दिनांक :- 13-3-2020

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सहरसा/मो0 अब्दुल जब्बार, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी-बख्तियारपुर/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(य 17/03/2020)

अभियंता प्रमुख।